प्रेषक,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　संख्या– 3820 /62–3–2010

एन.एस. रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी),
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   परिमण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता,
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   प्रखण्ड, उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–3　　　　　　लखनऊः दिनांक 27 नवम्बर, 2010

विषयः– **डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन के निर्माण में स्लोप व अन्त तक जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–2091/62–3–2010–49एम/2010, दिनॉक 29 जून, 2010 एवं शासनादेश संख्या–313/205/डा0अ0ग्रा0स0वि0वि0/2009, दिनॉक 06 सितम्बर, 2010 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिनके द्वारा यह सुस्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि वर्ष 2010–11 हेतु चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड/के0सी0ड्रेन निर्माण के साथ–साथ अन्त तक जल निकासी की व्यवस्था की जाय और ग्राम की आबादी के बाहर आउट फाल ड्रेन का निर्माण अवश्य किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये थे कि सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का ढाल तकनीकी रूप से ऐसा होना चाहिए कि गांव की आबादी में जल भराव की स्थिति किसी भी दशा में उत्पन्न न होने पाये।

2. दिनॉक 27.11.2010 को लखनऊ में हुई राज्य स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गयी कि डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड के निर्माण में घरों से निकलने वाले पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके कारण घरों से निकला उक्त जल वहीं पर रूक जा रहा है। यह शासन के स्पष्ट आदेशों के सर्वथा विपरीत है और इसके दो ही कारण हो सकते हैं; या तो सी0सी0 रोड के0सी0 ड्रेन का डिजाइन व प्राकलन बनाने में सभी तकनीकी एवं धरातलीय पक्षों को संज्ञान में नहीं रखा गया है या फिर निर्माण कार्य ही तकनीकी दृष्टि से दोषपूर्ण है। दोनों ही स्थितियॉ स्वीकार्य नहीं हैं। शासन में उच्च स्तर पर इस स्थिति को गम्भीरता से लिया गया है।

3. शासनादेश दिनॉक 29.06.2010 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि प्रोजेक्ट स्तर पर ही सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्तागण द्वारा चयनित ग्रामों का शत–प्रतिशत स्थलीय सत्यापन कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि बनायी गयी कार्य योजना तकनीकी रूप से ठीक है और इस आशय का प्रमाण पत्र भी निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता को उपलब्ध कराया जाय कि "सभी ग्रामों का सत्यापन कर लिया गया है तथा आवश्यक प्राविधान कर लिया गया है।" ऐसा प्रमाण पत्र अधीक्षण अभियन्ताओं के स्तर से निदेशक को उपलब्ध करा भी दिया गया है।

4. आप अवगत हैं कि डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड के0सी0 ड्रेन के निर्माण का कार्य प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर, 2010 तक पूर्ण किया जाना है। अतः अभी एक माह का समय उपलबध है, जिसमें अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के साथ–साथ उपरोक्त सभी तकनीकी कमियों को दूर कराया जाय। शासनादेश संख्या–878/26–ब0प्र0–2010–100(3)/2010, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, दिनॉक 12 नवम्बर, 2010 द्वारा सी0सी0 रोड के0सी0 ड्रेन के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि भी सभी जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी जा चुकी है।

5. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010–11 हेतु चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2010 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय और जल निकासी की ऐसी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि किसी भी दशा में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। माह जनवरी, 2011 से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ग्रामों का स्थलीय भ्रमण/सत्यापन बड़े पैमाने पर किया जाना है। उस समय कहीं जल भराव की स्थिति पायी गयी एवं निर्माण कार्य मानक के सापेक्ष निम्न स्तर के पाये गये तो सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के साथ–साथ सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, व मुख्य अभियन्ता के खिलाफ भी कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(एन0 एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि व्यापक रूप से स्थलीय निरीक्षण कराकर उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें व अनुपालन आख्या शासन को उपलबध करायें।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।

आज्ञा से,

27.11.2010

(एन0 एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।